आ/A2 M6 प्रति-1 (स्थिर)

340 प्रति

प्रति 30/1/18

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :– प.10(8)आयु./2015 पार्ट–4 जयपुर, दिनांक – 2 9 JAN 2018

—:: आदेश ::—

माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9199/2015 अनिता कुमारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिनांक 14.10.2015 को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी हेतु भर्ती की विज्ञप्ति संख्या 01/2013 में पारित निर्णय की पालना हेतु दायर अवमानना याचिका संख्या 676/2016 अनिता कुमारी बनाम संजय दीक्षित व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2018 को प्रदत्त निर्देश की पालना में राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक सेवा नियम 1973 (संशोधन 2013) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 1/2013 के परिपेक्ष्य में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के पत्रांक 9791 दिनांक 23.01.2018 से प्राप्त सूचना अनुसार अनिता कुमारी को अन्य पिछडा वर्ग में पात्र पाए जाने पर निम्नांकित शर्तो पर आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर Level in Pay Matrix (L-14) में कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष के प्रोबेशन काल पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी(प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियमानुसार मासिक नियत पारश्रमिक (फिक्स रेमुनरेशन) रू. 39300/– (अक्षरे उनचालिस हजार तीन सौ रूपये मात्र) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	रजि.नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	वर्ग	प्राप्तांक
1.	9121837	ANITA KUMARI	JILE SINGH	11-11-1986	FEMALE	OBC-NC	58.96

1. उक्त नियुक्ति विभाग द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर में दायर खण्ड पीठ अपील 414/2017 राजस्थान राज्य बनाम अनिता कुमारी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2017 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में की जाने वाली एस.एल.पी. में पारित आदेश/निर्णय के अध्यधीन (Subject to any order/decision) होगी।
2. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी को नियमानुसार पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र, संतान संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धुम्रपान निषेध प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेज कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी अपने दस्तावेजों का सत्यापन निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर से करवाने के उपरान्त दिनांक 15.02.2018 तक निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर में कार्यग्रहण कर सकेंगे।
4. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर द्वारा उक्त डॉ. अनिता कुमारी के समस्त दस्तावेज यथा जन्मतिथि शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, व अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन करने के पश्चात पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएगें।
5. परीवीक्षाकाल में यदि राज्य सरकार की राय में उपर्युक्त चिकित्साधिकारी का कार्य या आचरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता हैं , तो राज्य सरकार इन्हें सेवा से विमुक्त कर सकेगी।
6. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण रिपोर्ट तथा उनके द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी।
7. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7291/15 जसप्रीत कौर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा याचिका संख्या 10398/13 अजय फूलवारिया व अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 3152/2011 अशोक कुमार एवं इसके संलग्न अन्य 50 याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेश/अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

कार्यालय का पता :– मुख्य भवन, कमरा नं. 4205 शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. 0141–5116332
ई–मेल आई.डी. dsayurveda@yahoo.in

8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)वित्त/नियम/08 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ.14(1)एफ.डी./रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.05.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रामिक दिया जायेगा, यह पारिश्रामिक उच्चतम न्यायालय मे लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगी।

9. अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण के समाप्ति के 2 वर्ष के भीतर त्याग पत्र दे देता है या अन्यत्र कोई नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दोगुणा राशि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा एवं दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नही होगी। अभ्यर्थी इस बाबत् बंधक पत्र निष्पादित करेगा।

आज्ञा से,

(कुन्दन कुमार माथुर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश में प्रदत्त निदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।
7. संबंधित अभ्यर्थी मार्फत निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर।
8. विधि शाखा।
9. रक्षित पत्रावली।

29.1.18

(दिनेश कुमार गर्ग)
अनुभागाधिकारी

राजस्थान–सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

E-MAIL 1. ayurvedajm@yahoo.co.in
2. addlayurvedajm@yahoo.co.in
3. esttayurved2014@gmail.com

टेलीफोन नम्बर : 0145-2425047
0145-2425835
0145-242599

क्रमांक प01/प्रति–1/चिकि0/नियु0/785/2015 1623 दिनांक 31-1-2018

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राज0जयपुर
2. संबधित अनिता कुमारी पुत्री जिले सिंह
3. प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश आज ही विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें ।
4. सामान्य पत्रावली

(आनन्द कुमार शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक